न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 04/2022 तारीख रजू 03.01.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. देवकरण गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर विक्रेता एवं मालिक मैसर्स राहुल मावा भण्डार, कलेक्ट्रेट रोड, बजरिया सवाई माधोपुर। निवासी हमीरपुरा पोस्ट आमली तहसील उनियारा जिला टोंक
2. जीतेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह विक्रेता एवं मालिक मैसर्स श्री लक्ष्मी नाथ फूड प्रोडेक्टस, प्लाट नं. 21, 21ए, रोड नं. 18 आकेडा डूंगर, वी.के.आई. एरिया जयपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं 2 (v)/धारा 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 19.07.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 04.03.2021 को समय 11.30 ए.एम. पर गश्त चैकिंग अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ राहुल मावा भण्डार, कलेक्ट्रेट रोड, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। यहां देवकरण गुर्जर मिले जिन्होंने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना जाहिर किया एवं रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) इत्यादि को आम जन को विक्रय करना जाहिर किया। एवं मौके पर स्वयं के आई डी प्रूफ की प्रति फूड लाईसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की। यह कि निरीक्षण करने पर दुकान में दो टीन प्रत्येक 15 किलोग्राम रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इस रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) में से, अवमानक का शक होने पर इसकी जांच एफएसएस एक्ट के तहत कराने के लिए 1 टीन को पेकिंग के साईड से खुलवाकर 1600 ग्राम रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) वास्ते नमूना जांच संख्या **H-2032** के लिए एफएसए 2006 एवं नियम 2011 के नियमानुसार नमूनीकरण हेतु खरीदने के लिए रूबरू गवाह नरेश गुर्जर एवं आवेदक साथ गये खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा कार्यालय निदेशालय केन्द्रिय दल

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मुख्यालय, जयपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं मालिक व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूं। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता व मालिक को रूपये 220/– नगद देकर 1600 ग्राम रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) वास्ते नमूना जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर आवेदक एवं गवाह के हस्ताक्षर तथा विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं मालिक व गवाह के रूबरू खरीदशुदा 1600 ग्राम रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) को 4 साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर डाला। प्रत्येक बोतल पर ढक्कन लगाकर कस कर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये जिस पर डी.ओ. के कोड व सीरियल नम्बर **H-2032** खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई, आवेदक, गवाह एवं विक्रेता व मालिक ने लेबल पर हस्ताक्षर किये प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं क्रमांक **H-2032** नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। समस्त कार्यवाही की मौका फर्द मौके पर तैयार की जिसे पढकर, पढाकर, समझाकर व सही मानकर होश हवास में विक्रेता एंव मालिक व गवाह ने हस्ताक्षर किये तत्पश्चात आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **H-2032** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही आवेदक ने स्वयं, गवाह व विक्रेता एवं मालिक के सामने मौके पर ही की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जरिये मोहम्मद असलम वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के द्वारा अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोह्रर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/339/एक्ट/2020/434 दिनांक 18.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक द्वारा अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना करने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा अभियुक्त से **खाद्य पदार्थ** रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/339/एक्ट/2020/434 दिनांक 18.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रकरण में जुर्म स्वीकार किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** रिफाईण्ड पाम तेल (माधव गोल्ड किचन स्पेशल) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **19.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर